न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या.....2021/870

प्रकरण संख्या... 3/21

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

मै. शिवा एक्सप्लोसीव इंडिया प्रा. लि. बनाम ग्राम पंचायत वाना

ग्राम पंचायत वाना द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 15 दिनाक 20.09.2021 के विरूद्ध नामान्तरण अपील

निर्णय **दिनांक : 25.01.2022**

1. अपीलांट मै. शिवा एक्सप्लोसीव इंडिया प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री अभिनव उपाध्याय पिता श्री सुरेश उपाध्याय एवं मै. रास इण्डस्ट्रीज जरिये प्रो. श्री अर्पित बंसल पिता श्री अशोक बंसल निवासी उदयपुर द्वारा ग्राम पंचायत वाना द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 15 दिनाक 20.09.2021 के विरूद्ध नामान्तरण अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया जिसमें अपीलांट ने निवेदन किया कि मोजा वाना पटवार हल्का वाना, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बड़गावं तहसील भीण्डर जिला उदयपुर के साबिक खसरा सख्या 1199/12 रकबा 4 बीघा 10 विश्वा जिसके हाल आराजी संख्या 2360 है जिसमें अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 3.02.2021 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा उक्त आराजी में से 3 बीघा 10 विश्वा भूमि का विक्रय कर दिया गया जिसके उपरांन्त ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.09.2021 को उक्त विक्रय का नामान्तरण खोला गया जिसके नामान्तरण संख्या 15 है जिसमें नामान्तरकरण के दौरान आराजी संख्या साबिक 1199/12 हाल 2360 के स्थान पर 2359 खुल गया जो गलत है जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उक्त नामान्तरण को निरस्त कराकर नये सिरे से नामान्तरकरण खोले जावे।
2. ग्राम पंचायत वाना द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान में बताया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण को ही ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया। उसमें आराजी नम्बर राजस्व अधिकारियों द्वारा ही गलत लिखे गये।
3. उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार रिपोर्ट जिसके अनुसार रजिस्टर्ड दस्तावेज में विक्रय भूमि आ.न. 1192/12 अंकित है जिसका हाल नम्बर मिलान क्षेत्रफल अनुसार 2360 बना है एवं नामान्तरण दस्तावेज में अंकित आ.न. 1199/12 का हाल आ.न. 2360 के बजाय 2359 दर्ज कर दिया है जो त्रुटि पूर्ण है। जमाबन्दी सवत् 2078–81 के खाता संख्या 877, आराजी नम्बर 4793/2360 कुल किता 1 रकबा 0.9700 हैक्टेयर बीघा में राजस्व रेकर्ड में अपीलांट के [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:25:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

4. हमने उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं दिये गये तथ्य, दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया। हम यह मानते है कि अपीलांट मै. शिवा एक्सप्लोसीव इंडिया प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री अभिनव उपाध्याय पिता श्री सुरेश उपाध्याय एवं मै. रास इण्डस्ट्रीज जरिये प्रो. श्री अर्पित बंसल पिता श्री अशोक बंसल निवासी उदयपुर द्वारा साबिक खसरा सख्या 1199/12 रकबा 4 बीघा 10 विश्वा जिसके हाल आराजी संख्या 2360 है किन्तु नामान्तरण आराजी संख्या 2359 का दर्ज किया गया साथ ही विक्रय की गई भूमि आधौगिक संपरिवर्तित है जिसका नामान्तरण खोला गया जो नियमानुसार नही होकर त्रुटिपूर्ण है। अतः नामान्तरण संख्या 15 दिनांक 20.09.2021 को निरस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड में पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

25/1/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:25:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner